कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा / पीएसपी–सी / अ–2 / 60567 / केमाशिबो / 2021–22 दिनांकः– 13/12/21

वरिष्ठ शासन उप सचिव,
स्कूल शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग,
शासन सचिवालय राजस्थान,
जयपुर।

विषयः– गैर सरकारी विद्यालय गुरूकृपा पब्लिक स्कूल, घोड़ीवारा, खुर्द, झुंझनू के सीबीएसई से संबद्धता हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में संशोधन के क्रम में।

प्रसंगः– जिशिअ मु.माध्यमिक झुंझनू का पत्रांकः– जिशिअ / मु–मा / झु. / मान्यता / 2021 / 2447 दिनांक 29.10.2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि गैर सरकारी विद्यालय गुरूकृपा पब्लिक स्कूल, घोरीवारा खुर्द, झुंझनू को सत्र 2021–22 में किये गये सीबीएसई / सीआईएससीई आवेदन के तहत् शासन के पत्र दिनांक 18/8/21 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसरण में संबंधित विद्यालय को सीबीएसई हेतु निदेशालय स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। उक्त प्रकरण के संबंध में जिशिअ के प्रासंगिक पत्र द्वारा उक्त विद्यालय द्वारा अंग्रेजी माध्यम के आवेदन के अनुसार विद्यालय के माध्यम हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी संशोधित किये जाने की अभिशंषा एवं विद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्नकों के आधार पर विद्यालय के सीबीइएसई प्रमाण पत्र में निम्नानुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित हैः–

क्र.सं.	विद्यालय का नाम एवं जिला	वर्तमान स्थिति	वांछित संशोधन	वांछित संशोधन उपरान्त विद्यालय का नाम
1.	गुरू कृपा पब्लिक स्कूल धोरीवारा (झुंझनू)	गुरू कृपा	Gurukripa	GURUKRIPA PUBLIC SCHOOL,GHORIWARA, JHUNJHUNU
		धोरीवारा,	Ghoriwara	
		माध्यमः–हिन्दी	अंग्रेजी	

उक्तानुसार सीबीएसई सम्बद्धता हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में आंशिक संशोधन किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करवाने का श्रम करावें।

काना राम
(आई.ए.एस)
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

d:\sushil\all word desktop\sushil letters .docx

Scanned with CamScanner

15

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 14(8)शिक्षा–1 / 2009 / पार्ट–8 जयपुर, दिनांक : 18-08-2021

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय : सत्र 2021–22 हेतु निजी विद्यालय को सीबीएसई / सीआईएससीई, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में।

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांकः शिविरा–मा / पीएसी–सी / अ–2 / 60567 / केमाशिबो / 2021–22 दिनांक 15.07.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में संस्था श्री बाल विकास विद्या मंदिर समिति, नवलगढ़, झुन्झुनू द्वारा संचालित गैर राजकीय विद्यालय को क्रमशः कॉलम संख्या 4 एवं 5 में वर्णित माध्यम एवं सत्र से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) / सीआईएससीई, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने की निम्नांकित शर्ताधीन स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:–

क्र. सं.	जिला	विद्यालय का नाम	माध्यम	एनओसी जारी करने का सत्र	बोर्ड जिससे कि सम्बद्धता चाहतें है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	झुन्झुनू	गुरू कृपा पब्लिक स्कूल, धोडीवारा खूर्द, झुन्झुनू।	हिन्दी	2021–22	सीबीएसई

शर्तें :–

1. उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वर्ष 2021–22 के लिए ही मान्य होगा।
2. विद्यालय / संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकार शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 तथा समय–समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावेंगी।
3. विद्यालय / संस्था द्वारा राज्य / राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी निभाई जावेगी।
4. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बाल वाहिनी के क्रम में जारी किये गये दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना की जावेगी।
5. विद्यालय / संस्था द्वारा भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसरा में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों / नियमों की अक्षरशः पालना की जावेगी।
6. विद्यालय / संस्था परिसर में मोबाईल टॉवर स्थापित नहीं करेगी।

7. राजस्थान विद्यालय फीस का विनियमन अधिनियम 2016 नियम 2017 में वर्णित शर्तों की पालना करेगी।
8. राज्य सरकार एवं राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय का समय–समय पर निरीक्षण किया जा सकेगा तथा समय–समय पर विभाग एवं शासन द्वारा वांछित रिकार्ड एवं दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
9. विद्यालय में दिव्यांग जनों के लिए रैम्प एवं अन्य आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध करवायी जावेगी।
10. भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पालना की जावेगी।
11. भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता होने पर विद्यालय भवन का अधिग्रहण / उपयोग राजकीय कार्य के लिए किया जा सकेगा।

उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं किये जाने पर विभाग द्वारा राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 के तहत विद्यालय के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए विद्यालय को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जायेगा। जिसके परिणाम स्वरूप उक्त संस्था राज्य में विद्यालय का संचालन नहीं कर सकेगी।

अतः उक्त संस्था द्वारा सीबीएसई / सीआईएससीई, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में संदर्भित पत्र के संलग्न प्राप्त मूल आवेदन पत्रावली पत्र के संलग्न कर भिजवाते हुए निवेदन है कि कृपया उपरोक्त निर्णायानुसार उक्त संस्था को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी कर इस विभाग को अवगत करवाने का श्रम करावें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार (मूल पत्रावली)।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(भारतेन्द्र जैन)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय।
2. निजि सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
3. सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

18.8.21

(डॉ. रणवीर सिंह)
विशेषाधिकारी, शिक्षा